

3-2021

10. सा. मिटिंग में वृत्त प्रबन्धन उपस्थित
क्या वारंट दिनांक 18-3-2021 को पेश ले
पत्रावली पेश हुई वहीन वादी उप
पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 17-5-2021
को पेश हो।

17-5-2021 पत्रावली पेश हुई कोरोना लॉक डाउन
लेने से पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी
दिनांक 8-7-2021 को पेश ले

8-7-2021 पत्रावली पेश हुई कोरोना प्रभावी लेने
से पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 26-8-2021
को पेश ले

26-8-2021 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान
उपस्थित पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी अन्तिम
अवसर दिनांक 27-10-2021 को पेश ले

27-10-2021 पत्रावली पेश हुई P.O. सा. केम्प में
वास्तु में पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी अन्तिम अवसर
दिनांक 27-12-2021 को पेश ले

27/12/21 पत्रावली पेश हुई श्रीमान P.O. सा. भवकाश
पर होने के कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी अन्तिम
अवसर दिनांक 17/02/22 को पेश हो।

17.02.22 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील
प्रातिवादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा वाद में
"no instruction" समिलारित किया गया।

Not
interactio
of

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

वादी स्वयं अनुपस्थित प्रकरण के बार-बार
भावाज दिलायी गयी तब भी वादी अनुपस्थित
पत्रावली जम्मे समय से साक्ष्यवादी के पत्रवाली
है ऐसी स्थिति में न्यायालय इस प्रकरण के
सागे जेरफार रखना उचित नहीं समझता है।
पत्रावली के खारिज किया जाता है।
पत्रावली को सल उधार कर नम्बर के इत
सी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 के
सरे इजलास में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी